

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2/2010

जयपुर, दिनांक

20 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिले में पदस्थापित समन्वयक आईईसी एवं समन्वयक प्रशिक्षण के जॉब चार्ट के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक पीएस/आरडीएण्डपीआर/2008 दि. 01.10.08.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिले में पदस्थापित समन्वयक आईईसी एवं समन्वयक प्रशिक्षण के जॉब चार्ट जारी किये गये थे। योजनान्तर्गत इन समन्वयकों के कार्य में समयानुसार काफी परिवर्तन हो गया है। अतः इनके जॉब चार्ट का पुनः निर्धारण कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं। अब इस जॉब चार्ट के अनुसार ही इनसे कार्य करवाया जावे। साथ ही इनके कार्य का मूल्यांकन भी उक्त जॉब चार्ट के अनुसार ही किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) जिला परिषद समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

## समन्वयक (आई.ई.सी.) का जॉब चार्ट

महात्मा गांधी नरेगम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक जिला परिषद में एक पद समन्वयक (आई.ई.सी.) का अनुबन्ध पर सृजित किया हुआ है जिसकी अवधि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती है। इनकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा, प्रचार-प्रसार में विशेष योग्यताधारी को प्राथमिकता। सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के क्रियान्वयन में 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित की गई है। समन्वयक (आई.ई.सी.) का योजना के प्रचार-प्रसार, आमजन तक योजना के प्रावधानों की जानकारी पहुंचाने एवं अच्छे कार्यों को योजना से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचाने में महत्ती भूमिका है। योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए समन्वयक (आई.ई.सी.) के दायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

1. जिले में योजना का प्रभावी प्रचार-प्रसार करना।
2. योजना के प्रावधानों एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का समुचित प्रचार-प्रसार करना, ताकि आमजन को योजना के प्रावधानों की समुचित जानकारी हो सके।
3. वर्षभर में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना तैयार करना।
4. जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर समय-समय पर मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
5. योजना के प्रावधानों, दिशा निर्देशों एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर प्रचार सामग्री का प्रकाशन करवाना, यथा- पम्पलेट, फोल्डर, ब्रोसुर एवं पोस्टर।
6. योजना के प्रचार हेतु दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करवाना।
7. जिला स्तर पर होने वाली योजना की बैठकों की कवरेज करना तथा समाचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशन करवाना।
8. योजना के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग को संकलित कर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उनके निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
9. समय-समय पर विचार गोष्ठी, कार्यशाला एवं सेमीनार का आयोजन करना।
10. योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विडियो डॉक्यूमेंटेशन करवाना।
11. योजना के अन्तर्गत करवाये गये उत्कृष्ट कार्यों का संकलन एवं प्रकाशन। जिले में करवाये गये उत्कृष्ट कार्यों की विडियो सीडी एवं एलबम मय सम्पूर्ण विवरण तैयार करवाकर राज्य मुख्यालय पर भिजवाना।
12. पत्रकारों को कार्यस्थल पर ले जाना तथा जिले की सफलता की कहानियों का संकलन कर अकबारों में प्रकाशित करवाना।
13. श्रमिकों के अधिकारों के बारे में श्रमिकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
14. ग्राम सभा के आयोजन एवं सामाजिक अंकेक्षण के कार्यक्रम का समयबद्ध रूप से प्रचार-प्रसार करना।
15. जिला स्तर पर करवाई गई आई.ई.सी. की गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर भिजवाना।
16. उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य।

## समन्वयक (प्रशिक्षण) का जॉब चार्ट

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला परिषद में समन्वयक (प्रशिक्षण) का एक पद संविदा के आधार पर सृजित किया गया है। समन्वयक (प्रशिक्षण) की शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य/ग्रामीण विकास में स्नातक, ग्रामीण विकास में पी.जी. डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता, बी.एड. डिग्रीधारी को प्राथमिकता निर्धारित की गई है। किसी भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उस योजना में लगे हुए कार्मिकों की क्षमतावर्द्धन अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए संवर्गवार नियमित रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समन्वयक (प्रशिक्षण) का अहम दायित्व है कि जिले के कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवावे ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो तथा उनको योजना के प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों की नवीनतम जानकारी हो। इस उद्देश्य के लिए समन्वयक (प्रशिक्षण) के दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते हैं :-

1. प्रतिवर्ष माह मार्च में अगले वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों के संवर्गवार प्रशिक्षण की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन करवाना तथा इसकी एक प्रति इस विभाग को भिजवाना।
2. योजना के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए संवर्गवार मॉड्यूल तैयार करवाना।
3. प्रशिक्षण के लिए संवर्गवार संदर्भ व्यक्तियों का चयन करवाना एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. राज्य मुख्यालय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्तियों/प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सूचित करना तथा उनको भिजवाने की व्यवस्था करवाना।
5. राज्य मुख्यालय से प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्तियों/प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की समयबद्ध समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. राज्य सरकार एवं जिला स्तर से समय-समय प्राप्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।
7. जिले में प्रशिक्षण हेतु समुचित प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कर उनमें प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था करना।
8. वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षण दिलवाया जाना सुनिश्चित करना।
9. स्वतंत्र संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करवाना।
10. योजना से सम्बन्धित अधिनियम, नियम, मार्गदर्शिका आदि महत्वपूर्ण निर्देशों की अपडेट जानकारी रखना तथा सम्बन्धित कार्मिकों को इनकी प्रशिक्षण में जानकारी उपलब्ध करवाना।
11. मेटो, ग्राम रोजगार सहायको, कनिष्ठ तकनीकी सहायको, लेखा सहायको, डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों एवं एमआईएस मैनेजरों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवाया जाना सुनिश्चित करना।
12. राज्य सरकार के द्वारा योजना के अन्तर्गत जारी विशेष कार्यक्रमों यथा- 'अपना खेत अपना काम', हरित राजस्थान, सामाजिक अंकेक्षण आदि का समुचित प्रशिक्षण दिलवाया जाना सुनिश्चित करना।
13. जिले में दिलवाये गये प्रशिक्षण की सूचना प्रतिमाह राज्य सरकार को भिजवाना।